(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 194/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/226

बउनवान

प्रहलाद आयु 50 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री धमेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 06.01.2023

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.08.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट राजस्थान जरिये तहसीलदार छबडा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति एवं नामान्तरकरण खोले जाने से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई एवं उपखण्ड अधिकारी छबडा से भूमि रूपान्तरण से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। जिनके प्राप्त होने पर प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की बहस सुनी गई ओर उसे स्वीकार किया जाकर विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर उसके कथनों को दोहराते हुये कहा गया कि अपीलांट के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम घींगाराडी पटवार हल्का हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारॉ मे जमाबन्दी संख्या 2075–78 अनुसार खसरा नम्बर 1/2 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 1/1 रकबा 3 बीघा कुल दो किता 6 बीघा भूमि सहखातेदारी मे स्थित थी, उक्त आराजी मे से 5000 वर्गमीटर आराजी की किस्म कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (गिट्टी क्रेशर) मे परिवर्तन करवाने हेतु अपीलांट व सह खातेदार श्री मनोज कुमार ने [illegible] उपखण्ड अधिकारी छबडा के समक्ष आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी छबडा ने दिनांक 20.07.2012 को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण सूचि मे कृषि का अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 [illegible] के तहत सम्परिवर्तन के आदेश पारित करने पर अपीलांट ने चालान नं0 148 दिनांक 19.07.2012 से निहित राशि जमा करवाई थी एवं अपीलांट के खातेदारी की आराजी मे से इन्तकाल नम्बर 320 से खसरा नम्बर 1/2 रकबा 3 बीघा मे से 2 बीघा आराजी को कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किया गया था, जो निरन्तर अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी एवं अपीलांट उक्त आराजी पर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:53:24 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 1/2 रकबा 2 बीघा आराजी को इन्तकाल नम्बर 320 से सम्परिवर्तन कर किस्म औद्योगिक दर्ज करने के बाद उक्त आराजी को नक्शें ट्रैस मे अलग से दर्शाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 04.06.2020 का तहसीलदार छबडा को आवेदन पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा त्रुटि पूर्ण निर्णय दिनांक 08.06.2020 पारित कर उक्त आराजी को खाता सरकार खाता नं0 1 मे खसरा नम्बर 1/3 दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है, जो खिलाफ कानून है।

यह कि तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 एवं उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 कानूनन निरस्तनीय है। प्रथमत् अपीलांट को सूचित किये बिना प्रक्रियात्मक कानूनो की अनदेखी कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 417 निर्णय दिनांक 08.06.2020 की अपील की मियाद 30 दिवस से पूर्व ही मात्र 10 दिवस पश्चात इन्द्राज कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया तहसीदार छबडा द्वारा अपीलांट को जानबूझ कर साम्पत्तिक नुकसान पहुचाने की मंशा को दर्शाती है एवं उक्त निर्णय दिनांक 08.06.2020 पारित करने मे लिये गये आधार भी कानूनन त्रुटिपूर्ण है, निर्णय अनुसार परिपत्र क्रमांक प.क.–4(1)राज–6/2002/19 जयपुर दिनांक 18.06.2007 श्रीमान के.जी. अग्रवाल शासन उपसचिव द्वारा काश्तगारो के असम्मानजन नामों के सुधार हेतु जारी किया गया था जो अपीलांट के प्रकरण से असंगत है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 (2) अनुसार किसी भी आदेश का पुर्नविलोकन करने से पूर्व व्यथित पक्षकार को सूचित करना आदेशात्मक प्रावधान है जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया जाना निर्णय को प्रथम दृष्टया देखने से स्पष्ट है साथ ही राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 166 की शक्तियों का प्रयोग भी अधीनस्थ न्यायालय ने मन मुताबिक कर उक्त निर्णय दिनांक 08.06.2020 को पारित किया है क्योकि राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 166 मे वर्णित प्रावधानों अनुसार जमाबन्दी के इन्द्राजात, बाद के राजस्व रिकार्ड मे तब तक बदले नही जा सकते जब तक कि इस प्रयोजन हेतु नामान्तरकरणों मे परिवर्तन करने हेतु पूर्व मे कोई आदेश प्राप्त नही कर लिये जाते अर्थात नामान्तरकरण संख्या 320 के निरस्ती का आदेश प्राप्त किये बिना उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय दिनांक 08.06.2020 पारित नही किया जा सकता था उक्त कानूनी बिन्दुओं की रोशनी मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 एवं उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 कानूनन निरस्तनीय है एवं अपीलांट खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा को राजस्व रेकार्ड मे अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाकर नक्शा ट्रेस मे उक्त खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा की तरमीम करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

यह कि उक्त खसरा नम्बर 1/2 की रकबा 3 बीघा आराजी मे से 2 बीघा आराजी किस्म गैरमुमकीन औद्योगिक अपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 एवं उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 से उक्त आराजी से अपीलांट की खातेदारी ही समाप्त कर दी गई है जिस कारण अपीलांट को आर्थिक व साम्पत्तिक नुकसान कारित होने की पूरी पूरी सम्भावना बनी हुई है तथा अपीलांट कानूनन उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1/2 की रकबा 3 बीघा आराजी मे से 2 बीघा आराजी किस्म गैरमुमकीन औद्योगिक का मालिक स्वामी होने व रेकाडेर्ड खातेदार होने से उक्त आराजी को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ को निरस्त फरमाकर आराजी खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा किस्म गैरमुमकीन ओद्योगिक को पुनः राजस्व रेकार्ड मे अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:53:24 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार सरकार द्वारा बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ सही खोला गया है। वर्तमान मे उक्त आराजी पर गिट्टी क्रेशर भी संचालित किया जा रहा है। प्रकरण मे अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 08.06.2020 पारित किया गया है एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ प्रकरण रिमाण्ड किया जा सकता है।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा से प्राप्त उक्त नामान्तरकरण से संबंधित मूल पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी छबडा से प्राप्त भूमि रूपान्तरण से संबंधित मूल पत्रावली दोनो पत्रावलियों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्याः–भू–अभिलेख/शुद्वि–तरमीम/2020/1359–1360 मे पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 मे जिन भू राजस्व अधिनियमों का अंकिन किया जाकर पारित किया गया है, वह उक्त नियमों के अनुरूप प्रतीत नही होने से त्रुटिपूर्ण है एवं उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ मे खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा भूमि राज0 सरकार (खातेदारी भूमि का ओद्योगिक रूपान्तरण) अंकित किया गया है। जिसमे अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, उसके नाम के स्थान पर, राज0 सरकार का नाम अंकित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्याः–भू–अभिलेख/शुद्वि–तरमीम/2020/1359–1360 मे पारित निर्णय दि. 08.06.2020 खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 18.06.2020 वाके ग्राम घींगाराडी तहसील छबडा जिला बारॉ भी खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः नये सिरे से आदेश जारी किया जाकर नामान्तकरण खोला जावे।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:53:24 IST
Reason: SelfAttested